न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 30/2024

अनवान : –

1. नंदराम पुत्र सुखराम जति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर हाल निवास रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. जोतराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर हाल निवास रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजूराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर हाल निवास माणकथेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ ।
3. रामरतन पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. रामलाल पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर हाल निवास रामपुरा मटोरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. जसवन्त पुत्र हीराराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. बलराम पुत्र हीराराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
7. विनोद पुत्र हीराराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
8. गिरदावरी पत्नी स्व. हीराराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
9. इन्द्रा पुत्री सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
10. कानीदेवी पुत्री सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
11. समी पुत्री सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
12. बिदामी पुत्री हीराराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
13. सन्तोष पुत्री हीराराम पुत्र सुखाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
14. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
15. उप पंजियक नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : [illegible]जय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**

श्री [illegible] किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 26/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधि[illegible] यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का पेश किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 589/501 की कुल तादादी 9.5130 है० व रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 589/578 के ख.नं. 667 की 8.9790 है० भूमि सायल व गैरसायल स0 1 ता 14 की सयुंक्त खाता में दर्ज खातेदार भूमि है। उक्त भूमि में सायल व गैरसायल स0 1 ता 5 प्रत्येक 6/10 हिस्सा के व गैरसायल स0 6 ता 9 व 13 ता 14 बहिब 1/10 हिस्सा के एवं गैरसायल स0 10 ता 12 बहिब 3/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। सायल व गैरसयलान के नाम उक्त भूमि अपने पिता/दादा/दादाससुद से जरिये विरासतन दर्ज हुई है विरासतन दर्ज होने के बाद गैरसायलान स0 10 ता 12 ने अपना 3/10 हिस्सा भूमि की दिनांक 05.09.2023 को रजिस्टर्ड दस्बरदारी संयुक्त खाता में सहखातेदारो में सायल को छोड़ते हुए गैरसायल स0 1 ता 9 के पक्ष में परित्याग कर दिया उक्त दस्बरदारी में गैरसायल स0 1 ता 9 का नाम दर्ज है। मगर Release deed transfer deed नही है तथा Realease deed lr Title Transfer नही होते है इसलिए दस्तबरदारी दिनांक 14.09.2020 के आधार पर नियमानुसार बाबुलाल पुत्र इन्द्राज गैरसायल स0 1 अकेले को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है इसलिए सायल भी गैरसायल स0 1 ता 9 के बराबर अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायल स0 1 ता 9 के अकेलो के नाम भूमि दर्ज होने से गैरसायल उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए गैरसालयन को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 589/501 की कुल तादादी 9.5130 है० व रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 589/578 के ख.नं. 667 की8.9790 है० भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 14 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल स0 10 ता 12 ने अपनी सहमति व स्वयं की इच्छा से गैरसायल स0 1 ता 9 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग किया है अप्रार्थीगण के नाम जरिये दस्तबरदारी जो हिस्सा दर्ज हुआ है उसे सायल संशोधित करवा पाने के अधिकारी नही है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हम[illegible]ी का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया[illegible] का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश[illegible] एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

Rahul

उपखण्ड अधिकारी

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि सायल के पिता के फोत होने के बाद अप्रार्थी स0 10 ता 12 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 05.09.2023 को अप्रार्थी स0 1 ता 9 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसका इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है तस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नहीं होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबदार होने वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह खातेदार ब० हि० ब० के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। उक्त दस्तबरदारी से गैरसायल संख्या 1 ता 9 के पक्ष में उसका हिस्सा समायोजित हो गया है लेकिन गैरसायल संख्या 1 ता 9 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकूक हासिल नहीं हुए है क्योंकि सायल को उसके हिस्सा से वंचित किया गया है अप्रार्थी का कथन है कि दस्बरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है एवं कोई भी खातेदार अपना हक व हिस्सा किसी के भी पक्ष में तर्क करने हेतु स्वतंत्र है पत्रावली में प्रस्ततु दस्तावेजों के मुताबिक अप्रार्थी स0 10 ता 12 द्वारा द्वारा प्रार्थी को छोड़कर गैरसायल स0 1 ता 9 के पक्ष में दिनांक 05.09.2023 को दस्तबरदारी की गई है। अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 12 द्वारा की गई दस्तबरदारी सही या गलत का निर्धारण मूल वाद में तय होना है जो की न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत विचाराधीन है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा का सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को ... प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित ... है अप्रार्थीगण 1 ता 9 के नाम भूमि अप्रार्थी स0 10 ता 12 से जरिये दस्बरदारी प्राप्त हुई है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 589/501 की कुल तादादी 9.5130 है० व रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 589/578 के ख.नं. 667 की 8.9790 है० भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26/11/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:08 IST
Reason: SelfAttested